भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1040

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली पुलिस की उत्तर-पूर्वी विशेष इकाई को सक्रिय बनाने के लिए भर्ती

1040. श्री पॉल मनोज पांडियन :
क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों में से प्रत्येक राज्य से 10 पुरूषों और 10 महिलाओं सहित 20 पुलिसकर्मियों की भर्ती करने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुमति देने और अपनी उत्तर-पूर्वी विशेष इकाई को सक्रिय बनाने पर विचार कर रही है:
(ख) यदि हां, तो तंत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा अन्य राज्यों तथा महानगरों की पुलिस को भी ऐसे ही पहल करने की सलाह दी जाएगी; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**
(क) से (ख): दिल्ली पुलिस की भर्ती देश के सभी भागों के उम्मीदवारों के लिए खुली है। राष्ट्रीय राजधानी बल को वास्तव में देशव्यापी बल बनाते हुये देश के सभी भागों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व रखना हमेशा दिल्ली पुलिस की जागरूक नीति रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस में 10 पुरुष और 10 महिला कांस्टेबलों (कार्यकारी) की नियुक्ति के लिए प्रत्येक राज्य से उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस की मदद करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से अनुरोध किया था। पूर्वोत्तर विशेष यूनिट की स्थापना अपने संकल्पनात्मक चरण में है।

(ग) से (घ): भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। राज्य पुलिस बलों में नियुक्ति/भर्ती की जिम्मेदारी मुख्य रुप से संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, दिनांक 29 और 30 नवम्बर, 2014 को गुवाहाटी मे आयोजित डीजीपी/आईजीपी के वार्षिक सम्मेलन के दौरान राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से पुलिस में व्यापक आधार पर भर्ती करने का अनुरोध किया गया है ताकि राज्य पुलिस बलों में देश के सभी भागों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो।

*****